निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

IndiaCode

12 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 322)   पटना, बुधवार, 2 जून 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 02/2021-राज्य कर (दर)

2 जून 2021

एस0ओ0 100 दिनांक 2 जून 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा एतदद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 554 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा -:

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में, शर्त में , मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) के समक्ष, चौथे परंतुक में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ii) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जायेगा, यथा:-

"(iii) भू-स्वामी- प्रमोटर उस टैक्स के क्रेडिट का उपयोग टैक्स भुगतान के लिए करने का पात्र होगा, जो डेवलपर-प्रमोटर द्वारा उस अपार्टमेंट के निर्माण की आपूर्ति पर लगाया गया हो, जिसकी सप्लाई भू-स्वामी-प्रमोटर द्वारा की जानी है।";

(ख). क्रम संख्या 25 में ,-

(i) कॉलम (3) में, मद (iक) के पश्चात और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ix) जहाज या अन्य जलयान, उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट्स से संबंधित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिग की सेवाएं	2.5	-"

(ii) कॉलम (3) में, मद (ii) में, , शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "और (iक)" के स्थान पर कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द, ", (iक) और (iख)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 02)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

2 जून 2021

एस0ओ0 100, दिनांक 2 जून 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 02)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

IndiaCode

Notification No. 02 /2021 – State Tax (Rate)

The 2nd June 2021

S.O. 100 dated the 2nd June 2021-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554 dated the 29th June, 2017, namely:- In the said notification, in the Table, -

(a) in serial number 3, against items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) in column (3) , in the conditions in column (5), in the fourth proviso, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely-

"(iii) the landowner-promoter shall be eligible to utilise the credit of tax charged to him by the developer-promoter for payment of tax on apartments supplied by the landowner-promoter in such project." ;

(b) in serial number 25,-

(i) after item (ia) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely –

(3)	(4)	(5)
"(ib) Maintenance, repair or overhaul services in respect of ships and other vessels, their engines and other components or parts.	2.5	-"

(ii) in item (ii) in column (3), for the word, brackets, figures and letter " and (ia)", the brackets, figures, letter and word ",(ia) and (ib)" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10) 02]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 322-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

IndiaCode